



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26328

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 1978/2026

विनोद कुमार

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता : अरविंद कुमार, शारदा विश्वकर्मा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. याची ने प्रत्यर्थी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, हंडिया, जनपद प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2023 के अनुपालन की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।
3. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याची द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(2) के तहत प्रत्यर्थी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, हंडिया, जनपद प्रयागराज के समक्ष कार्यवाही की गई थी, जिसे वाद संख्या-7073/2021 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-T202102030407073) के रूप में अंकित किया गया था, जिसमें याची के पक्ष में दिनांक 30.08.2023 को आदेश पारित किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक उपर्युक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।
4. इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा रिट याचिकाओं के समूह, जिसमें मुख्य रिट सी संख्या-35470/2025 (मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य) है, जो 18.12.2025 को निर्णीत हुई, में कानून सुस्थापित किया गया है, जिसमें पैराग्राफ संख्या 44 से 46 में कुछ निर्देश दिए गए थे जो इस प्रकार हैं:- "44. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 सीमा विवादों के संक्षिप्त निपटान के लिए उप जिलाधिकारी (एसडीओ) को वैधानिक अर्ध-न्यायिक शक्तियों के साथ-साथ सीमांकन और कब्जा बहाली के लिए अनिवार्य प्रवर्तन अधिकार प्रदान करती है। निष्पादन वैकल्पिक नहीं है बल्कि प्रावधान की प्रभावकारिता के लिए अभिन्न है? प्रवर्तन में विफलता संपूर्ण संक्षिप्त तंत्र को निष्प्रभावी बना देती है और विधायी मंशा को विफल कर देती है। तैयार किए गए व्यापक दिशा-निर्देशों का उद्देश्य वैधानिक आदेशों (संहिता, 2006 की धारा 24; नियमावली, 2016 के नियम 22), कार्यकारी निर्देशों (शासनादेश दिनांक 16.12.2025),

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों और निष्पक्षता एवं सार्वजनिक व्यवस्था की संवैधानिक अनिवार्यताओं के बीच तालमेल बिठाते हुए एक संरचित ढांचा प्रदान करना है। संबंधित प्रत्यर्थी, विशेष रूप से एसडीओ और कलक्टर, कानून के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि धारा 24 के तहत आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। 45. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य, राज्य के भीतर सभी राजस्व अधिकारियों को पूर्वोक्त दिशा-निर्देशों का राज्यव्यापी प्रसार सुनिश्चित करेंगे। अनिवार्य प्रशिक्षण और आरसीसीएमएस प्रोटोकॉल अनुपालन प्रदान करने के लिए एक तंत्र भी सुनिश्चित किया जा सकता है। 46. प्रत्यर्थी, विशेष रूप से संबंधित एसडीओ को निर्देशित किया जाता है कि वे इस रिट याचिका के समूह में सभी विषयगत आदेशों को, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर, कड़ाई से अनुमोदित साइट मेमो/सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार, सीमा चिह्न लगाना और जहाँ भी आवश्यक हो कब्जा बहाली सुनिश्चित करके तत्काल निष्पादित करें।"

5. मामले के इस परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान रिट याचिका को संबंधित उप जिलाधिकारी को दिनांक 30.08.2023 के आदेश का कड़ाई से कानून के अनुसार पालन करने और साथ ही मीना देवी (उपर्युक्त) के मामले में दी गई टिप्पणियों, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, के आलोक में अनुपालन करने का निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

फरवरी 6, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"